प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
<u>निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.</u>

प्रकरण संख्याः 79 / **2026** (अपील सूचना का अधिकार)
Ganga Bai Dangi Add: Sapetiya, Badgaon, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329700652842694 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2026 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर नामांतरकरण संख्या 2026 / 12151 / 12 दिनांक 03.02.2026 के संबंध में 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1516382664 दिनांक 23.03.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 79 / 26 / 451–52 दिनांक 23.03.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सू.अ. / 2026 / 2005 / 99 दिनांक 17.4.2026 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू. अ. / 2026 / 2005 / 67 दिनांक 11.03.2026 को अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचित कर दिया गया था। उक्त नामांतरकरण संख्या 2026 / 1251 / 12 दिनांक 03.02. 2026 राजस्व ग्राम शोभागपुरा खसरा संख्या 760, 764, 1769 / 609 सबंधित नामांतरकरण की प्रमाणित प्रति की सूचना प्रार्थी को डाक के माध्यम से भिजवायी जा रही है। अतः अपील निरस्त फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में नामांतरकरण संख्या 2026 / 1251 / 12 दिनांक 03.02.2026 पर पटवारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गई है परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील में नामांतरकरण आवेदन को पटवारी के पास वापस भेजने के कारण चाहे गये है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) एवं धारा 8(1) के अंतर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या प्रश्नों का

RajKaj Ref No.: 22091206
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.08 13:21:27 IST
Reason: Approved

उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। उक्त अधिनियम के तहत केवल वहीं सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से संकलित हो। प्रत्यर्थी द्वारा नामांतरकरण संख्या 2026/12151/12 दिनांक 03.02.2026 के संबंध में वांछित सूचना/नामांतरकरण की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.08 13:21:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22091206
M e-Sign